[न्]यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

[न]0 65/18 तारीखरजू:–

उनवानः– महकीराम बनाम जगमोहन वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 19.12.2018 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 173/0.39, 229/0.28, 278/0.61, 388/0.23, 389/0.21, 445/0.24, 446/0.59, 467/0.30, 527/0.03, 750/0.23, 758/0.10, 960/0.19, 1024/0.04, 1025/0.10, 1026/0.19, 1269/0.28, 1271/0.14, 1272/0.15, 1473/0.38, 1475/0.40, 1476/0.76, 1477/0.01, 1478/0.76, 1479/0.27, 1480/0.26, 1487/0.06, 1549/0.30, 1550/0.31, 1552/0.11, 1553/0.11, 1676/0.14, 1773/0.07, 1828/0.19, 1846/0.07, 1856/0.38, 1857/0.28, कुल किता 36 रकवा 9.16 है0 1717/0.20, 1718/0.27, 1719/0.16, 1720/0.25, 416/0.58, 1875/0.23, 1876/0.24, है0 ग्राम भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि मे प्रार्थी को उक्त आराजी मे रिकार्ड व मौके की यथा यथास्थिति आगामी सुनवाई तिथि तक बनाए रखे।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है, मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.12.2018 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी / उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

3876-80
1-10-18

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

फर्द अहकाम

दिनांक	
19.12.18	प्रार्थी वकील उप०/ अप्रार्थी बावजूद सूचना उप० नहीं। P.O. सा० अवकाश पर है आईन्दा दि० 17-1-19 को पेश हो।
17.1.19	प्रार्थी वकील उप०/ अप्रार्थी नं. 1, 2 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया अप्रार्थी नं. 3, 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं/ जवाब पेश करने दिनांक 14.2.19 को पेश हो।
14.2.19	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। मतानुसार दिनांक 14.3.19 को पेश हो।
14.3.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य से भ्रमण पर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 22.4.19 को पेश हो।
22.4.19	वकुलाय उप०/ जवाब पेश करने दिनांक 7.6.19 को पेश हो।
7.6.19	वकुलाय उप०/ जवाब पेश करने दिनांक 5.7.19 को पेश हो।
5.7.19	वकुलाय उप./ मूल दावा के प्रतिवादी नं. 3, 4, 5, 6 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वादपत्र मे वर्णित भूमि मे 1/2 हिस्सा के काश्तकार खातेदार है, पटवारी हल्का ने हमारे विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं होने के बावजूद खाते की भूमि पर जमाबन्दी मे नोट लगा दिया है जबकि हमारे विरुद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

नहीं हुई है प्रार्थना पत्र के साथ पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में जगमोहन, मोदू पि० रामदेव को पक्षकार बनाया है एवं इन्हे ही वर्णित भूमि पर रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में मेघराम जगदीश, श्रवण पि० मल्लू, केदार लाल S/o कालू पक्षकार ही नहीं है नाहि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। अप्रार्थी नं. 1, 2 का जबाब पेश करने समय चाहा। जबाब पेश करने दिनांक 2-8-19 को पेश हो।

2-8-19
वकुलाय उप०) जबाब पेश करने दिनांक 5-9-19 को पेश हो।

5-9-19
वकुलाय उप०) जबाब पेश किया। जबाब की प्रति प्रार्थी वकील ने प्राप्त की। वास्ते बहस दिनांक 26.9.19 को पेश हो।

26.9.19
वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित मूलदावा बाबत तकासमा प्राथमिक डिक्री किया गया है अतः इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में कार्यवाही जारी न रखते हुए खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

Scanned by CamScanner